RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शनिवार 14 दिसंबर 2024 वर्ष 06 अंक 241 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

बच्चे को मां से न मिलने देना 'क्रूरता' के बराबर - बॉम्बे हाईकोर्ट

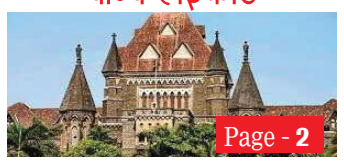

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

15 दिसंबर को होगा फडणवीस कैबिनेट का विस्तार...

शिंदे गुट को मिलेगा गृह मंत्रालय?

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 15 दिसंबर को होगा और नए मंत्री नागपुर में एक समारोह में पद की शपथ लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि करीब 30 मंत्री शपथ लेंगे।

43 सदस्य हो सकते हैं मंत्रिपरिषद का हिस्सा

राज्य विधानमंडल का एक सप्ताह तक चलने वाला शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर में शुरू होने वाला है। 5 दिसंबर को मुंबई में एक भव्य समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके साथ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार उनके डिप्टी थे। महाराष्ट्र में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं।

बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात की। कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। चर्चा में यह भी तय कर लिया गया है कि मुख्य विभाग किन दलों के नेताओं के मिलेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा के 15 सदस्य शपथ ले सकते हैं। शिवसेना के 8-9 नेता शपथ ले सकते हैं। वहीं एनसीपी (अजित पवार) गुट के भी 8-9 नेता शपथ ले सकते हैं।

क्या शिंदे गुट को मिलेगा गृह मंत्रालय?

सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय को लेकर शिवसेन (शिंदे गुट) और भाजपा के बीच रस्साकशी का दौर जारी है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गुट गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। बीजेपी गृह विभाग के साथ ही शहरी विकास विभाग भी अपने पास रखना चाहती है। इसके बदले में शिवसेना को राजस्व और पीडब्ल्यूडी देने के लिए भाजपा तैयार है। वहीं, एनसीपी के नेताओं को वित्त और योजना, हाउसिंग आवास, चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल एजुकेशन) जैसे विभाग मिल सकती है।

चुनाव में मिली हार से दुखी नाना पटोले

अध्यक्ष पद छोड़ने का किया ऐलान... खरगे को लिखा पत्र

मुंबईः महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अब तक की सबसे बुरी हार का सामना पड़ा है। चुनाव के कुछ दिनों बाद पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्रीय नेतृत्व से उन्हें संगठनात्मक पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध किया है। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पटोले ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को एक पत्र भेजकर कहा है कि वह महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के प्रमुख के पद से मुक्त होना चाहते हैं।

महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) के घटक दल कांग्रेस ने 101 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और केवल 16 सीट पर जीत दर्ज कर सकी, जो कभी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले राज्य में उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। राज्य में इसके कई शीर्ष नेता अपनी विधानसभा सीट बचाने में विफल रहे। हालांकि, पटोले भंडारा जिले के साकोली विधानसभा

क्षेत्र में मात्र 208 मतों से जीते थे।

महायुति को मिली 233 सीटें

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे, जिसमें महायुति को 233 सीटें मिली। इतना बंपर जनादेश मिलने के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने अभी तक मुख्यमंत्री के लिए अपनी पसंद को अंतिम रूप नहीं दिया है। 280 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि उसके सहयोगी दलों झ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी झ ने क्रमशः 57 और 41 सीटें जीतीं।

बता दें कि जिला पंचायत सदस्य बनने के साथ ही नाना पटोले की सियासी सफर की शुरूआत हुई थी। जिसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाकर बैठे नाना को जब टिक नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा हालांकि, इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के टिकट पर 1999, 2004 और 2009 में विधानसभा चुनाव जीतकर वह विधानसभा पहुंचे।

पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत

नई दिल्ली : हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई भगदड़ में महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। पुलिस गिरफ्तारी के बाद अभिनेता को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद पुष्पा 2 एक्टर ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में अब एक नया अपडेट सामने आया है।

अल्लू अर्जुन को मिली तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत

अल्लू अर्जुन ने निचली अदालत के फैसले के बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जिसमें कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि एक्टर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 108, 118 (1) के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें राहत की खबर दी है। अभिनेता अल्लू अर्जुन को महिला की मौत से जुड़े मामले में चार सप्ताह के लिए जमानत दी गई है। हाई कोर्ट की ओर से उन्हें 50 हजार का निजी बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया है।

संध्या थिएटर में फिल्म की प्रीमियर के दौरान 35 वर्षीय रेवती अपने पति और 13 साल के बच्चे के साथ गई थी। अल्लू अर्जुन को देखकर फैंस के बीच भगदड़ मच गई। वहीं, भीड़ के कारण रेवती का निधन हो गया और उनके बच्चे का इलाज अस्पातल मे चल रहा है। इस मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी टीम और थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

पवई में 13 किलोग्राम से अधिक चरस और एक देसी बंदूक के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई के पवई इलाके में एक व्यक्ति को कथित तौर पर 3.30 करोड़ रुपये की 13 किलोग्राम से अधिक चरस और एक देसी बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी गुरुवार को एक पुलिस अधिकारी ने दी। पवई पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि गश्त कर रही टीम ने विहार सरोवर के पास एक कार को रोका, जिसके बाद मोहम्मद सादिक हनीफ सैय्यद (46) को हिरासत में लिया गया। ''हमें उसके पास से 6 किलोग्राम चरस और एक देसी बंदूक मिली। उससे पूछताछ में चांदशाहवल्ली दरगाह परिसर से 7.185 किलोग्राम चरस बरामद हुई।

हमने कुल 3.30 करोड़ रुपये की 13.217 किलोग्राम चरस जब्त की है। वाहन को भी जब्त कर लिया गया है,'' अधिकारी ने बताया। ''उस पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। सैय्यद के खिलाफ पहले भी दो ड्रग सप्लाई केस और एक ड्रग सेवन का मामला दर्ज है,'' अधिकारी ने बताया।

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

मतदाता की फकीरी..

तपोवन में विधानसभा सत्र और कांगड़ा में शीतकालीन प्रवास ऐसी प्रथाएं बन गई हैं कि आज की सियासत को भी मुड़-मुड़ कर देखना पड़ता है। जाहिर है छह बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने सियासत की व्यावहारिकता में सुधारवाद का शंखनाद किया और यह सिलसिला अनवरत जारी रखना अब अग्निपरीक्षा की तरह हो गया है। इस दौरान राजनीति बदली और बदले इसके किले। राज्य का बजट, सत्ता की पैरवी और प्रदेश को साधने की शक्ति में प्रदर्शित होते नए सबूत, हर दौर के शिलालेख लिख रहे हैं। इस दौरान बहस अच्छे-बुरे की नहीं और न ही जरूरी और गैर जरूरी व्यय के बीच रही, अलबत्ता सियासी आवश्यकताओं ने अनावश्यक खर्च की कसौटी ही खत्म कर दी। हमें केवल इमारतें चाहिएं, स्कूल, कालेज या स्वास्थ्य केंद्र का भविष्य नहीं। इमारतें जिनसे विकास की अनुगूंज हो, जिनके शिलान्यास से उद्घाटन तक सत्ता का बोध हो, इसलिए सत्ता के भीतर भी एक सत्ता पनपने लगी है। बजट के भीतर, एक बजट दिखने लगा है। मेहरबानियों की औपचारिकता में सरकारी नौकरियां और नौकरियों की पेशकश में स्थानांतरण की औपचारिकता। हर सत्ता का अपना ढांचा और इसी के भीतर अनेक पद, सौगातें और तरक्की का बंटवारा। हिमाचल का राजनीतिक इतिहास व्यक्तिवाद की राह पर मचान खोज रहा है। सारी शक्तियां सिमट रही हैं, तो प्रशासनिक पकड़ के मजमे तिलिस्म नहीं बनते। कभी शिमला और शिमला की सुरंग एक होते थे। हिमाचल की सियासी कहावतें एक होती थीं, लेकिन अब केवल वंशवाद नहीं, विश्वास के पात्र भी बदल रहे हैं। धड़ों के भीतर कई धड़े। कुछ अपनी सत्ता की चरागाह पर रेवड़ियां चुगते हुए और कुछ ऐसे गैर होने लगे कि सत्तारूढ़ दल भी आपस में ही विपक्ष सरीखे होने लगे। विधानसभा की चचाओं से कहीं अधिक रस बहिर्गमन से बतियाते मीडिया को मिल रहा, क्योंकि अब बयान ही खबर और खबर के लिए बयान ही ज्ञान होता जा रहा है। ऐसा मीडिया बचा नहीं जो खड्ड खोद कर अवैध खनन की रेत से खबर छान ले, किसी एसपी की लंबी छुट्टी से संशय के कदम निकाल ले।

ऐसा प्रशासन नहीं जो रीढ़ दिखा सके और फर्ज बेचने की तस्करी में शिमला की नौकरशाही, चंद दीवारों के भीतर गुटरगूं करती हुई, फाइल पर फाइल चढ़ा रही। आश्चर्य यह कि तमाम विश्वविद्यालय अपने ही घर से बेघर सियासी चूल्हा गर्म कर रहे। कोई शोध ऐसा नहीं कि आर्थिक-सामाजिक विकल्प मिल जाएं। अचानक रैंकिंग में जब कोई शिक्षण या चिकित्सा संस्थान चमक जाता है, तो जनता को इस खबर पर आश्चर्य होता है।

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 8657861004
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

बच्चे को मां से न मिलने देना 'क्रूरता' के बराबर - बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि बच्चे को उसकी मां से न मिलने देना भारतीय दंड संहिता के तहत 'क्रूरता' के बराबर है। साथ ही कोर्ट ने जालना में रहने वाली एक महिला के ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। औरंगाबाद में जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जज रोहित जोशी की बेंच ने 11 दिसंबर को दिए फैसले में कहा कि निचली अदालत के आदेश के बावजूद महिला की 4 साल की बेटी को उससे दूर रखा जा रहा है।

कोर्ट ने कहा, 'चार साल की छोटी बच्ची को उसकी मां से दूर रखना भी मानसिक उत्पीड़न के बराबर है, जो क्रूरता के समान है, क्योंकि इससे निश्चित रूप से मां के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचेगा।' हाईकोर्ट ने कहा कि ससुराल वालों का ऐसा व्यवहार भारतीय दंड संहिता की धारा 498- ए के तहत परिभाषित 'क्रूरता' के समान है। 2022 में महिला को घर से निकाल दिया गयाः पीठ ने कहा, 'मानसिक उत्पीड़न आज भी दिन - प्रतिदिन जारी है। यह एक गलत कृत्य है।' इसमें कहा गया है कि यह एफआईआर रद्द नहीं की जाएगी क्योंकि यह अदालत के हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। महिला के ससुर, सास और ननद ने कथित क्रूरता, उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के लिए महाराष्ट्र के जालना जिले में उनके खिलाफ दर्ज 2022 की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसकी शादी 2019 में हुई और 2020 में उसने एक बेटी को जन्म दिया। पति और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके माता-पिता से पैसे मांगना शुरू कर दिया और उसे शारीरिक रूप से परेशान और प्रताड़ित किया। मई 2022 में, महिला को उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर घर से निकाल दिया। उसे अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद उसने अपनी बेटी की 'कस्टडी' के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दायर की।

भिवंडी में दो दिन पानी कटौती

भिवंडी। भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका ने नागरिकों को सूचित किया है कि स्टेम वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रा. लि., ठाणे द्वारा पाइपलाइन की देखभाल और मर- म्मत कार्य के लिए शुक्रवार, 13 दिसंबर की सुबह 9:00 बजे से गुरुवार, 14 दिसंबर की सुबह 9:00 बजे तक 24 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। इस दौरान भिवंडी शहर में स्टेम के माध्यम से होने वाली पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। इसके अलावा, अगले एक दिन तक पानी की आपूर्ति कम दबाव और कम मात्रा में होगी। प्रभावित क्षेत्रों में ममता टाकी, चाविंद्रा गांव, पटेल नगर, बाला कंपाउंड, फरीदबाग, सं- गमपाड़ा, कचेरीपाड़ा, ब्राह्मण आळी, कसारआळी, भावेनगर, आदर्श पार्क, अजयनगर, गोकुलनगर, इंदिरानगर, कल्याण रोड, तीनबत्ती, शिवाजीनगर, अंजूरफाटा, देवजी नगर, निजामपूरा, इस्लामपुरा, शास्त्रीनगर, नेहरू नगर, मिल्लत नगर, वेताळपाड़ा, भाग्यनगर, हनुमान नगर, और अन्य इलाके शामिल हैं।

बीएमसी नेपेंसि रोड पर तटीय सड़क पर एक अतिरिक्त प्रवेश/ निकास बनाने के प्रस्ताव पर विचार

मुंबई : मुंबई ब्रीच कैंडी रेजिडेंट्स फोरम (बीसीआरएफ) द्वारा उठाई गई मांगों के बाद बीएमसी नेपेंसिया रोड पर तटीय सड़क पर एक अतिरिक्त प्रवेश/निकास बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, अधिकारियों ने कहा। विधानसभा चुनावों से पहले इस मांग ने जोर पकड़ा, जब मुंबई के संरक्षक मंत्री और मालाबार हिल के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने इसका समर्थन किया। 20 नवंबर को हुए चुनावों में फिर से चुने गए लोढ़ा ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, ''मैंने दो महीने पहले बीएमसी को एक अतिरिक्त इंटरचेंज के समर्थन में लिखा था, और उन्होंने इसका अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।''

बीएमसी नेपेंसिया रोड पर तटीय सड़क प्रवेश/निकास पर विचार कर रही है हालांकि विधायक ने आगे की जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन तटीय सड़क विभाग के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि नगर आयुक्त भूषण गगरानी को वास्तव में एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें उनसे तटीय सड़क के लिए सलाहकार एईकॉम एशिया कंपनी लिमिटेड से नेपेंसिया रोड पर अतिरिक्त प्रवेश/निकास पर व्यवहार्यता अध्ययन करने का आग्रह किया गया था। इससे पहले, तटीय सड़क अधिकारियों ने नेपेंसिया रोड पर अतिरिक्त प्रवेश/निकास के निर्माण की संभावना को खारिज कर दिया था, उन्होंने कहा था कि प्रियदर्शिनी पार्क के बगल में कोई सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं है। तटीय सड़क विभाग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि नेपेंसिया रोड पर एक इंटरचेंज 1991 की विकास योजना में निर्दिष्ट तटीय सड़क के लिए पहली योजना का हिस्सा था।

बॉम्बे हाई कोर्ट की पुलिस को शहर में अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए फटकार

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस को शहर में अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई, जो पहले के अदालती आदेशों का उल्लंघन है और उन्हें सड़कों पर अनधिकृत फेरीवालों को हटाने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। अवैध फेरीवालों के खिलाफ राज्य पुलिस की निष्क्रियता पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई न्यायमूर्ति एएस गडकरी और कमल खता की अगुवाई वाली पीठ ने मलाड, कांदिवली और बोरीवली स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों सहित पश्चिमी उपनगरों में अवैध फेरीवालों को संबोधित करने में पुलिस और बीएमसी की विफलता का जिक्र करते हुए कहा, ''कोई सड़क नहीं है, फेरीवालों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है।'' कपीवा के स्किनकेयर उत्पादों से प्राकृतिक रूप से स्वस्थ, चमकदार त्वचा पाएं। आज ही खरीदारी करें! फेरीवालों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत को बताया कि फेरीवालों के लाइसेंसिंग मुद्दों को हल करने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन के बारे में पहले जारी किए गए निदेर्शों के बावजूद, समिति के चुनाव अभी भी लंबित हैं। इससे अधिकृत फेरीवालों को असुविधा हो रही है और उनके खिलाफ अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं; उन्होंने कहा कि कुछ फेरीवालों को भी इसी कारण से बेदखल किया गया था, उन्होंने इस प्रक्रिया में फेरीवालों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित किया।

80 साल पुराने हनुमान मंदिर को रेलवे ने दी नोटिस

मुंबई : दादर पूर्व स्थित मध्य रेलवे के प्लेट फार्म नंबर 12 के पास बने लगभग 80 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ने की नोटिस मध्य रेलवे ने दी है। बता दें कि रेलवे प्रशासन ने रेलवे परिसर में बने धर्म स्थल को हटाने का बड़े पैमाने पर जोर दिया है। दादर स्टेशन मध्य और पश्चिम रेलवे और मुंबई के मध्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यह हनुमान मंदिर आरपीएफ कार्यालय के पास है। करीब आठ दशक पहले स्टेशन अपर कार्यरत हमाल ने एकजुट होकर इस हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। इस स्थान पर साईं बाबा का एक छोटा सा मंदिर है। सुबह - सुबह दादर स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्री प्रसन्नचित्त होकर हनुमान के दर्शन के साथ अपनी अगली यात्रा पर निकलते हैं। हालांकि 80 साल बाद इस मंदिर को अवैध घोषित कर दिया गया है। मध्य रेलवे के कार्यकारी सहायक मंडल अभियंता ने इसे ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। मध्य रेलवे के इस आदेश से यात्री और भक्त में बड़ा रोष व्याप्त है। चार दिन पूर्व कुछ श्रद्धालुओं ने मध्य रेलवे के निर्णय पर आंदोलन किया था।

ठाणे रेलवे स्टेशन परिसर में अवैध रूप से पुलिस के वाहन होते हैं पार्क...

पुलिस वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

ठाणे : ठाणे शहर में जहां एक ओर गैरकानूनी तरीके से खड़े किए गए वाहनों पर टोइंग के नाम पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, वहीं यह नियम पुलिस के वाहनों पर लागू नहीं होता। ठाणे रेलवे स्टेशन परिसर में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिमा और टिकट घर के बाहर चौकी के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस स्टिकर लगे दोपहिया वाहन अवैध रूप से खड़े देखे गए हैं। इन वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे पैदल यात्रियों के लिए चलने की जगह भी नहीं बचती।

बता दें कि ठाणे रेलवे स्टेशन पर रोजाना लाखों यात्री आवागमन करते हैं। स्टेशन से बाहर निकलने के लिए यात्री रिक्शा स्टैंड का उपयोग करते हैं, लेकिन अन्य वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद, स्टेशन परिसर में और विशेष रूप से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिमा और ट्रैफिक चौकी के आसपास पुलिस के कई दोपहिया वाहन खड़े रहते हैं। इनमें से कुछ वाहन ड्यूटी पर मुंबई जाने वाले पुलिसकर्मियों के भी हैं। इन वाहनों के कारण यात्रियों और पैदल चलने वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर में आम नागरिकों के वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा तुरंत टोइंग कार्रवाई की जाती है, लेकिन पुलिस के वाहनों पर कोई कार्रवाई न होने से यात्रियों में आश्चर्य और असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। इस विषय पर ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि रेलवे सुरक्षा, ट्रैफिक और लोहमार्ग पुलिसकर्मियों के वाहनों के लिए एक विशेष स्थान निर्धारित करने की योजना बनाई जा रही है। इस संबंध में ठाणे नगर निगम से पत्राचार किया गया है। अन्य अवैध रूप से खड़ी सभी दोपहिया वाहनों को जल्द ही हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई/ 12 दिन में 426 ऑटोरिक्शा जब्त

मुंबई : ऑटो-रिक्शा चालकों द्वारा बड़े पैमाने पर यातायात उल्लंघन से निपटने और निवासियों के लिए सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए, मुंबई पुलिस ने नागरिकों को गलत वाहन चालकों की शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। 29 नवंबर को अभियान शुरू होने के बाद से, पुलिस ने केवल 12 दिनों के भीतर 426 ऑटोरिक्शा जब्त किए हैं और 2,099 चालकों को दंडित किया है।

भू-माफिया नायगांव में बना रहे अवैध चाल...

पूर्व बविआ नगरसेवक पर आरोप

वसई : नालासोपारा में ४१ अनधिकृत इमारतों के निर्माण को लेकर सुर्खियों में रहने वाले भू- माफिया और पूर्व बविआ नगरसेवक द्वारा नायगांव में अवैध चाल बनाने का खुलासा हुआ है। शिकायतें की गई हैं कि तटीय नियंत्रण क्षेत्र का उल्लंघन करके मैग्रोव्ज के पेड़ों को काटकर अवैध चालों का निर्माण किया जा रहा है। नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी में विभिन्न विकास कार्यों के लिए आरक्षित ४१ अनधिकृत इमारतों का मामला इस समय सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन इमारतों को अवैध करार दिए जाने के बाद वसई विरार महानगर पालिका ने इन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इन ४१ इमारतों में २००० से ज्यादा परिवार रह रहे हैं और इनमें रहने वाले लोग बेघर होने वाले हैं। अब तक ८ इमारतों को तोड़ा जा चुका है। इन इमारतों में रहने वाले ५० से ज्यादा परिवार सड़क पर आ गए हैं। वहीं शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) के वसई-विरार उत्तर भारतीय जिला प्रमुख सुरेंद्र सिंह ने शिकायत की है कि चाल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मैग्रोव्ज को काटकर अवैध रूप से चाल बनाई जा रही हैं और सीआरजेड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

मीरा भायंदर में पानी लीकेज से रोज हजारों लीटर पानी की बबार्दी...

भायंदर : मीरा भायंदर शहर एक विकसित शहर है यहां पर हर शहरी सुविधा उपलब्ध है परन्तु आज भी इस शहर में पानी की दिक्कत है। पहले यह शहर गांव था धीरे-धीरे विकास की गति पकड़ी और यह गांव से शहर में तब्दील हो गया। शहर बनने के बाद यहां की आबादी भी बढ़ी परन्तु यहां की आबादी के हिसाब से यहां पर पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण इस शहर मे आज भी पानी की समस्या बरकरार है।

इस पानी की समस्या के लिए कुछ हद तक मनपा के कर्मचारी भी जिम्मेदार है। इस शहर में अनेक स्थानों पर आए दिन पानी लीकेज की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण रोज हजारों लीटर पानी यु ही बर्बाद होता है। शहर में आए दिन स्टेम प्राधिकरण एवं एम। आय। डी। सी के माध्यम से पानी कटौती होती है इसके अलावा कई बार पानी की पाइप लाइन की मरम्मत के लिए भी पानी

कटौती होती हैं, जिसकेकारण शहर मे पानी कम आता है ।इसके बाद यह पानी लीकेज के कारण हर रोज हजारों लीटर पानी बर्बाद होता रहता है। पानी की पाइप टूटना या लीकेज होना यह स्वाभाविक है, परन्तु इसकी समय पर मरम्मत करके रोज हजारो लीटर पानी की बचत की जा सकती है। मनपा के पानी विभाग को इस समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसकी वजह से शहर मे हर रोज हजारों लीटर पानी की बचत हो सकती हैं।

शराब और तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार प्रतिबंधित

मुंबई : मुंबई भारतीय केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) शराब और तम्बाकू जैसे उत्पादों के सरोगेट विज्ञापन पर मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे रहा है, जिन्हें मीडिया में खुद को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं है। 9 दिसंबर की 'मिंट' रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीपीए शराब उद्योग, उपभोक्ता समूहों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से परामर्श करने के बाद इस महीने अपने दिशानिर्देश जारी करेगा। वांछितः सरोगेट शराब विज्ञापनों पर सख्त कानून केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम और विज्ञापन उद्योग के स्व-नियामक निकाय के तहत शराब और तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार प्रतिबंधित है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के पास एक विज्ञापन ढांचा है जो सरोगेट के विपरीत शराब और तम्बाकू (सिगरेट, पान मसाला) ब्रांडों के वैध विस्तार की अनुमति देता है। सरोगेट विज्ञापन से तात्पर्य उन कंपनियों से है जो अपने शराब या तम्बाकू ब्रांडों को अन्य हानिरहित उत्पादों (सोडा, पैकेज्ड पानी, संगीत सीडी, कांच के बने पदार्थ) की आड़ में बढ़ावा देती हैं जो वास्तविक व्यवसाय नहीं हो सकते हैं। एएससीआई कोड के अनुसार उत्पाद या सेवा ब्रांड एक्सटेंशन को संबंधित सरकारी प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत होना चाहिए और अन्य योग्यता मानदंडों को पूरा करना चाहिए जैसे कि निर्दिष्ट बिक्री टर्नओवर, वितरण, निवेश और उद्योग निकाय या चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणन। हालांकि एएससीआई की सीईओ मनीषा कपूर ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि भारतीय केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का मसौदा मौजूदा एएससीआई कोड के साथ ओवरलैप होगा या नहीं।

शेयर्ड टैक्सी में सहयात्री ने छात्रा के सामने हस्तमैथुन किया... मामला दर्ज

मुंबई: ग्रैंड रोड इलाके में एक चौंकाने वाली घटना हुई। पीड़िता के दोस्त ने घटना का खुलासा किया, जिसके बाद 12 दिसंबर को सह-यात्री के खिलाफ गामदेवी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78 और 79 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार पीड़िता, जो एक कॉलेज की छात्रा है, ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन जाने के लिए एक शेयर्ड टैक्सी में सवार हुई। यात्रा के दौरान, एक अज्ञात सह-यात्री ने छात्रा के सामने हस्तमैथुन किया। पूरी घटना

को छात्रा के दोस्त ने रिकॉर्ड कर लिया, जो टैक्सी में भी था और फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो के सुर्खियों में आने के बाद, मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की। गामदेवी पुलिस ने तकनीकी जांच विधियों का उपयोग करते हुए आरोपी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में है, जैसा कि एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है।

साकीनाका में महिला को मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, सिर में गंभीर चोटें

मुंबई: मुंबई के साकी नाका इलाके में एक दुखद हादसा हुआ, जहां मंदिर जा रही 64 वर्षीय महिला को मोटरसाइकिल ने पीछे से टक्कर मार दी। महिला ने दम तोड़ दिया और पुलिस ने आरोपी डिलीवरी बॉय हिरशा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, घटना 8 दिसंबर को शाम करीब 6:30 बजे हुई। महिला चंदीवली इलाके में एक मंदिर की ओर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गिर गई और उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। महिला को बहुत खून बह रहा था, उसे राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वसई : तीन दिन पहले ही जमानत पर रिहा...

डकैती के एक मामले में गिरफ्तार

वसई : वालिव पुलिस ने गुजरात के कुख्यात छारा गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें गिरोह का कथित सरगना कन्नूभाई उर्फ कन्हैया रामभाई सोलंकी, 35 और उसका साथी मोहम्मद शरीफ फरीद खान, 30 शामिल है। पुलिस ने बताया कि सोलंकी और खान दोनों को पिछले साल डकैती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और 28 नवंबर को वसई में एक बुजुर्ग महिला को लूटने से तीन दिन पहले ही जमानत पर रिहा किया गया था। पुलिस ने बताया कि सोने के गहने और नकदी जो दोनों ने एक साथी के घर में छिपाई थी, जब्त कर ली गई है।

जमानत पर रिहा होने के कुछ दिन बाद डकैती के लिए 2 लोग गिरफ्तार यह गिरोह, डकैती के कम से कम 12 मामलों में आरोपी है, वसई-विरार क्षेत्र में सक्रिय है और आमतौर पर मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर अंगड़िया (पारंपरिक बैंकर जो कमीशन के लिए नकदी और कीमती सामान ले जाते हैं) को निशाना बनाता है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ''यह गिरोह सड़क पर निजी बसों को रोकता था और बंदूक या चाकू की नोक पर लूटपाट करता था, ड्राइवर और अंगड़िया का अपहरण कर लेता था। वसई क्षेत्र की पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी ने कहा कि 28 नवंबर की डकैती की जांच उन्हें सोलंकी और खान तक ले गई। ''जांच के दौरान, हमने उस जगह के आसपास लगे लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज स्कैन की,

जहां महिला से लूट हुई थी और डकैती में इस्तेमाल की गई बाइक की नंबर प्लेट बरामद की, जिससे पता चला कि यह गुजरात में पंजीकृत थी,'' श्रृंगी ने कहा पहले उद्धृत पुलिस अधिकारी ने कहा, ''जेल से रिहा होने के बाद आरोपियों को पैसे की जरूरत थी और इसलिए उन्होंने बूढ़ी महिलाओं को निशाना बनाने का फैसला किया।'' 28 नवंबर को, सोलंकी और खान ने दो डकैती की - एक वसई में और दूसरी कल्याण में, जिसके बाद वे वसई के कामन इलाके में एक साथी के घर में छिप गए।

154 साल पुराने कार्नैक ब्रिज का पुनर्निर्माण...

5 जून को कार्नैक ब्रिज को आम जनता के लिए खोल सकता है

मुंबई : 154 साल पुराने कार्नैक ब्रिज का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजर रहा है, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम ने रेलवे सेक्शन के दक्षिणी हिस्से में 516 मीट्रिक टन का लोहे का गर्डर लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन के पास स्थित और पी डी'मेलो रोड को जोड़ने वाला यह पुल, मस्जिद बंदर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और दक्षिण मुंबई के मोहम्मद अली मार्ग क्षेत्रों में यातायात को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बृहन्मुंबई नगर निगम 5 जून को कार्नैक ब्रिज को आम जनता के लिए खोल सकता है मूल रूप से 1867 में निर्मित इस पुल को 2018 में कब्ळ बॉम्बे के विशेषज्ञों ने असुरक्षित घोषित कर दिया था, जिसके बाद बृहन्मुंबई नगर निगम ने इसकी जीर्ण-शीर्ण स्थिति को ठीक करने के लिए पुनर्निर्माण शुरू किया। गुरुवार को अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर ने प्रगति की समीक्षा करने के लिए परियोजना स्थल का दौरा किया। उन्होंने मुख्य अभियंता (पुल) उत्तम श्रोते, उप मुख्य अभियंता (पुल) राजेश मुले और परियोजना से जुड़े अन्य अधिकारियों, श्रमिकों और कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए। बांगर ने बताया कि पुल के दूसरी तरफ लोहे के गर्डर के लिए 428 मीट्रिक टन (83%) स्पेयर पार्ट्स डिलीवर किए जा चुके हैं, और बाकी पार्ट्स 20 दिसंबर, 2024 तक आने की उम्मीद है। बीएमसी की समय-सीमा में 13 जनवरी, 2025 तक इन पार्ट्स को असेंबल करना और 14 जनवरी, 2025 को ट्रायल रन आयोजित करना शामिल है। नगर निकाय ने गर्डर स्थापना की सुविधा के लिए सेंट्रल रेलवे से 18 और 19 जनवरी, 2025 को रेलवे ब्लॉक देने का अनुरोध किया है।

''बीम को असेंबल करने और स्थापित करने, एप्रोच रोड बनाने और लोड टेस्ट करने के लिए शेड्यूल की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो बीएमसी का लक्ष्य 5 जून, 2025 तक कार्नैक ब्रिज को यातायात के लिए खोलना है,'' बांगर ने एक प्रेस बयान में कहा।

भिवंडी क्षेत्र में मोबाइल चोरी और छीनाझपटी के अलग- अलग 5 मामले दर्ज

भिवंडी। भिवंडी क्षेत्र में मोबाइल चोरी और छीनाझपटी के पांच अलग- अलग मामलों ने स्थानीय निवासियों को चौंका दिया है। पुलिस थानों से मिली जानकारी के अनुसार, ये घटनाएं शांतिनगर, निजामपुरा और भिवंडी शहर इलाकों में सामने आईं, जहां संदिग्धों ने राहगीरों को निशाना बनाकर उनके महंगे मोबाइल फोन छीन लिया है।

पुलिस के मुताबिक पहली घटना शांतिनगर पुलिस स्टेशन सीमा के नागांव रोड़ पर हुई, जहां स्कूटी सवार संदिग्धो ने राह चलते व्यक्ति मोहम्मद फारूख इमामवक्ष हाश्मी से 10 हजार कीमत का मोबाइल फोन छीन लिया। दूसरी घटना निजामपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दर्ज हुई। जहां पर श्रीरंग नगर की रहने वाली संगिता दत्तु कंदुल मच्छी मार्केट तीनबर्ती आई हुई थी, अज्ञात व्यक्ति ने 10 हजार कीमत का मोबाइल फोन चोरी कर लिया। निजामपुर के रहने वाले कु. तन्वीर राजा गुल मोहम्मद शेख का भी मोबाइल फोन अज्ञात व्यक्ति ने हमजा होटल से चोरी हुआ है।

एक वर्षीय बेटे की मां ने पानी की टंकी में डुबोकर की हत्या

ठाणे : भिवंडी के वाशिंद इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 23 वर्षीय महिला ने अपने एक वर्षीय बेटे की पानी की टंकी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पडघा पुलिस स्टेशन में महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते यह खौफनाक कदम उठाया।

बता दें कि महिला अपने पति, बेटे और सास के साथ वाशिंद में रहती थी। मंगलवार तड़के परिवार ने देखा कि बच्चा अचानक घर में नहीं है। परिजनों ने घबराकर बच्चे की खोजबीन शुरू की। इस बीच, महिला ने बच्चे के लापता होने का नाटक किया। लेकिन पति को महिला के व्यवहार पर शक हुआ और उसने सख्ती से पूछताछ की। महिला ने आखिरकार कबूल किया कि उसने बच्चे को घर की पानी की टंकी में फेंक दिया।

बिल्डर पर आरक्षित भूमि पर कथित रूप से अनधिकृत निर्माण करने के आरोप में एफआईआर दर्ज

ठाणे : कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) द्वारा बिल्डर सलमान अनीस डोलारे के खिलाफ आरक्षित भूमि पर कथित रूप से अनधिकृत निर्माण करने के आरोप में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अवैध निर्माण घोटाले में बिल्डर पर एमआरटीपीए के आरोप 10 महीनों में बिल्डर और भागीदारों के खिलाफ चौथी एफआईआर दर्ज की गई। प्रमोद तांबे द्वारा कल्याण के बाजार पेठ पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

महारेरा घोटाले के बाद यह दूसरा ऐसा मामला है, जिसमें केडीएमसी ने 65 डेवलपर्स को नोटिस जारी किए थे, जिन्होंने कथित तौर पर महाराष्ट्र के रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के तहत अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कराने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की थी। केडीएमसी ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में 58 अवैध इमारतों को निशाना बनाकर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। केडीएमसी ने नगर नियोजन प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति के बिना आरक्षित भूमि पर 10 मंजिला इमारत बनाने के आरोप में डोलारे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यूसुफ हाइट्स नामक यह इमारत कल्याण पश्चिम में बंदर रोड पर मौलवी कंपाउंड के पास स्थित है। केडीएमसी के अनुसार, इसका निर्माण 2015 में बेघरों के लिए खेल के मैदान और आवास के लिए आरक्षित भूमि पर किया गया था।

केडीएमसी के नगर नियोजन अधिकारी उमेश बाबू यमगर ने कहा कि नगर निकाय ने मई में डोलारे को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे निर्माण की वैधता साबित करने वाले दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया था।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com